ओटीटी रिव्यू: हैलो बच्चों

अतुल मोहन, फिल्म बिजनेस एनालिस्ट

अलख बने विनीत का अभिनय सच्चा, खास मैसेज देती है सीरीज

कलाकार: विनीत कुमार सिंह, गिरिजा ओक गोडबोले, विक्रम कोचर, अवतार वैश्नानी, सोनू कुमार यादव, अनुमेहा जैन, पंकज कश्यप और अन्य
निर्देशक: प्रतीश मेहता **निर्माता:** प्रेमशीला कुमार और एन. कुमार (TVF)
प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स **एपिसोड्स:** 5 (प्रत्येक 46 मिनट)

एक ऐसे देश में जहां लाखों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं के पीछे दौड़ते हैं और बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं, वहां शिक्षक की भूमिका सिर्फ विषय समझाने तक सीमित नहीं रहती। शिक्षाविद अलख पांडे की जीवन यात्रा से प्रेरित यह सीरीज दिखाती है कि किस तरह जुनून, धैर्य और संवेदनशीलता सिर्फ कक्षाओं ही नहीं बल्कि जिंदगियों को भी बदल सकती है।

स्टोरी

अलख पांडे की कहानी को सामने लाती है सीरीज

सीरीज अलख पांडे की कहानी को सामने लाती है, जो एक जुनूनी फिजिक्स शिक्षक है। उनका सपना है कि हर छात्र तक सस्ती और अच्छी शिक्षा पहुंच सके। उन्हें लगता है कि ये बच्चों का हक है। कोई गरीब गांव से है और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद पढ़ाई जारी रखना चाहता है, कोई लड़की सामाजिक बंदिशों के खिलाफ लड़कर अपनी शिक्षा जारी रखना चाहती है, इन समानांतर कहानियों के माध्यम से यह सीरीज दिखाती है कि शिक्षा किसी व्यक्ति की जिंदगी की दिशा कैसे बदल सकती है।

एक्टिंग

विनीत कुमार सिंह इस सीरीज की आत्मा हैं

विनीत कुमार सिंह इस सीरीज की आत्मा हैं। अलख पांडे के रूप में उनका अभिनय सच्चा, जमीन से जुड़ा और बेहद गर्मजोशी से भरा हुआ है। विक्रम कोचर अलख के सहयोगी के रूप में मजबूत साथ देते हैं और अपने शांत व व्यावहारिक अंदाज से कहानी में संतुलन लाते हैं। गिरिजा ओक गोडबोले, अलख की सहायक बहन के रूप में भावनात्मक गहराई जोड़ती हैं। छात्रों की भूमिका निभाने वाले युवा कलाकार भी विश्वसनीय अभिनय करते हैं।

डायरेक्शन

निर्देशक ने कहानी को अच्छे से प्रस्तुत किया है

निर्देशक प्रतीश मेहता ने कहानी को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया है। सीरीज छात्रों के दबाव और उस शिक्षक के संघर्ष को अच्छे तरीके से दिखाती है जो स्थापित व्यवस्था को चुनौती देना चाहता है। हालांकि, कुछ जगहों पर कहानी का अंदाज थोड़ा अनुमानित लगता है।

निष्कर्ष

'हेलो बच्चों' अपनी सच्चाई और मैसेज की वजह से प्रभाव छोड़ती है। यह हमें याद दिलाती है कि एक शिक्षक सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और प्रेरक भी होता है। सीरीज भले ही हर बार नया रास्ता न दिखाए लेकिन इसकी ईमानदारी इसे देखने लायक बनाती है।

वामसी की थ्रिलर फिल्म में एक बड़े क्राइम सिंडिकेट से भिड़ेंगे सलमान

भास्कर नेटवर्क। मुंबई

सलमान खान इन दिनों अपने करियर के अहम दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ उनकी अगली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' चर्चा में है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट पर भी मुहर लगा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान ने साउथ सिनेमा के चर्चित निर्देशक वामसी पैदिपल्ली के साथ एक बड़े बजट की एक्शन थ्रिलर फिल्म साइन की है। ए. मुरुगादॉस की फिल्म 'सिकंदर' के बाद यह सलमान की यह एक और बड़ी साझेदारी मानी जा रही है, जो साउथ इंडियन फिल्म मेकिंग स्टाइल से प्रभावित होगी।

दमदार और इमोशनल होगा सलमान का रोल

पिछले कुछ वर्षों में पैन-इंडिया फिल्मों का चलन तेजी से बढ़ा है और इसी ट्रेंड के तहत यह नई फिल्म भी तैयार की जा रही है। माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में सलमान एक दमदार और इमोशनल किरदार में नजर आएंगे, जो उनकी 'मास' इमेज को और भी मजबूत करेगा।

एक्शन के साथ सामाजिक संदेश भी...

फिल्म की प्लॉट अभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है, लेकिन इंडस्ट्री में चर्चा है कि यह एक हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर होगी। इसमें सलमान एक ऐसे किरदार में दिखाई दे सकते हैं जो इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट के खिलाफ अकेले लड़ता है और उसका सफाया करता है। फिल्म की थीम सोशल जस्टिस और वन मैन आर्मी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बताई जा रही है। खबर यह भी है कि इस प्रोजेक्ट को साउथ के बड़े निर्माता दिल राजू प्रोड्यूस कर सकते हैं।

हीरोइन के लिए भी कई बड़े नाम चर्चा में हैं...

वामसी के इस नए प्रोजेक्ट में फीमेल लीड को लेकर भी चर्चा तेज है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रश्मिका मंदाना, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर के नाम पर विचार किया जा रहा है। शूटिंग के लिए यूरोप और दुबई जैसी अंतरराष्ट्रीय लोकेशंस के साथ हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी को मुख्य बेस बनाया जा सकता है, जबकि उत्तर भारत के शहर जैसे वाराणसी या लखनऊ को भी फिल्म में शामिल करने की योजना है। अगर रश्मिका या पूजा फाइनल होती हैं तो वे दोबारा सलमान के साथ काम करेंगी।

'बैटल ऑफ गलवान' की रिलीज में भी हुआ चेंज

इसी बीच सलमान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की रिलीज डेट में भी बड़ा बदलाव हुआ है। पहले इसे ईद के आस-पास रिलीज करने की प्लानिंग थी, लेकिन अब इसे 14 अगस्त 2026 के लिए शेड्यूल किया गया है ताकि स्वतंत्रता दिवस वीकेंड का फायदा मिल सके। फिल्म का निर्देशन अपूर्वा लाखिया कर रहे हैं।

फिल्म की थीम सोशल जस्टिस और वन मैन आर्मी के कॉन्सेप्ट पर है। इस प्रोजेक्ट को साउथ के बड़े निर्माता दिल राजू प्रोड्यूस कर सकते हैं।

'द बुल' और 'किक 2' भी है खाते में...

सलमान आने वाले समय में कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आ सकते हैं। इनमें यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स की फिल्म 'टाइगर वर्सेस पठान', करण जौहर के साथ मिलकर प्रोजेक्ट 'द बुल' और 'किक 2' जैसी फिल्में शामिल हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि साउथ के निर्देशकों के साथ यह नई साझेदारी सलमान के करियर के लिए एक नया मोड़ साबित हो सकती है। अब बस इन प्रोजेक्ट्स के आधिकारिक ऐलान और टीजर का इंतजार हो रहा है।

'धुरंधर 2' का ट्रेलर रिलीज, दो अवतार में दिखे रणवीर सिंह

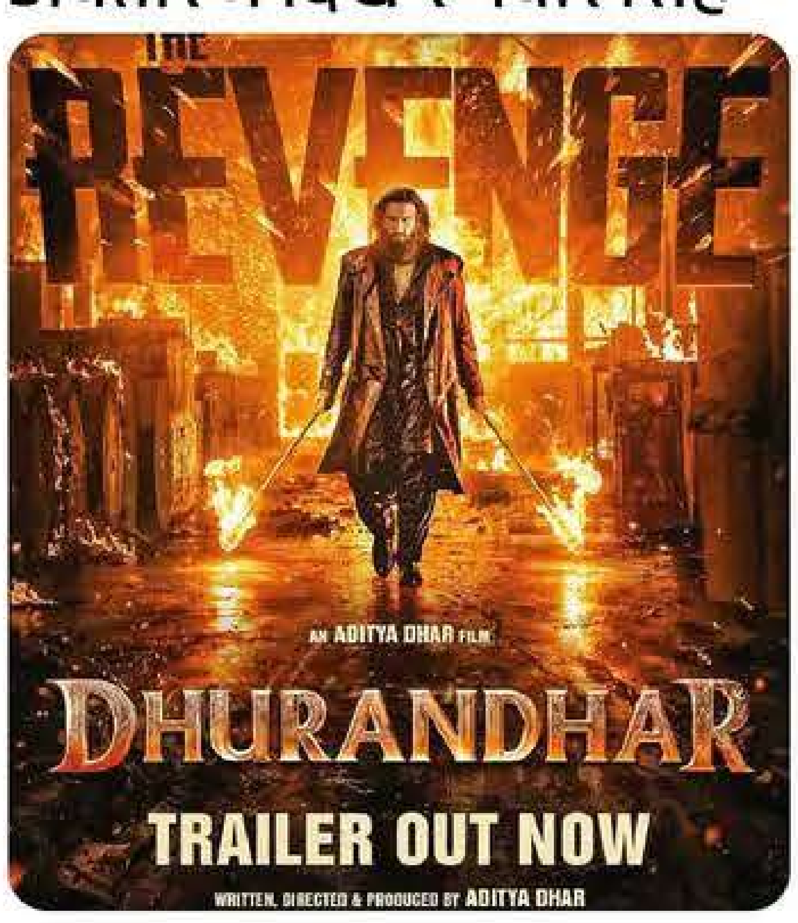

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर की शुरुआत एक तीखे डायलॉग से होती है, जिसमें कहा गया है कि 'हिंदू एक बहुत डरपोक कौम है।' इसके जवाब में एक चुनौतीपूर्ण आवाज सुनाई देती है। फिर कहानी उस स्थिति की ओर बढ़ती है, जब अक्षय खन्ना के किरदार रहमान डकैत की मौत के बाद सड़कों पर अराजक माहौल बन जाता है। ट्रेलर में गोलीबारी और रॉकेट लॉन्चर के धमाकों के बीच यह सवाल उठता है कि रहमान के मरने के बाद अब लाहौर का नया बादशाह कौन बनेगा? ट्रेलर में रणवीर जसकीरत सिंह रंगी के किरदार में नजर आते हैं। वह इस बार दो अवतार जसकीरत और हमजा में दिखाई देंगे। फिल्म में एक बार फिर आर. माधवन, अजय सान्याल, अर्जुन रामपाल, आईएसआई मेजर इकबाल और संजय दत्त, एसपी चौधरी असलम के किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म को आदित्य धर ने लिखा, डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है। इसके साथ ही ज्योति देशपांडे और लोकेश धर भी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। फिल्म जियो स्टूडियोज ने प्रेजेंट की और बी62 स्टूडियोज के बैनर तले बनी है। यह फिल्म 19 मार्च को आएगी। इसका क्लेश पवन कल्याण की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' से होगा।

नानी के गाने 'आया शेर' का हिंदी वर्जन आउट

नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' का गाना 'आया शेर' अब हिंदी में भी जारी कर दिया गया है। 'आया शेर' का अर्थ है 'शेर आ गया', जो गाने के जोश और ऊर्जा को साफ तौर पर दर्शाता है। तेलुगु वर्जन की सफलता के बाद अब हिंदी वर्जन भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और इसे इस साल के सबसे बड़े हिट गानों में गिना जा रहा है। गाने के तेलुगु संस्करण ने यू-ट्यूब पर 44 मिलियन से अधिक व्यूज और 10 लाख से ज्यादा लाइक्स हासिल कर लिए हैं। फिल्म में यह गाना नानी के एंट्री इंट्रो के रूप में दिखाया गया है।

अनिरुद्ध रविचंदर ने इसका संगीत तैयार किया है, जबकि नृत्य संयोजन सुधान मास्टर ने किया है। गाने में नानी की जोशीली ऊर्जा, दमदार बीट्स और उनकी खास शैली काफी प्रभावित कर रही है।

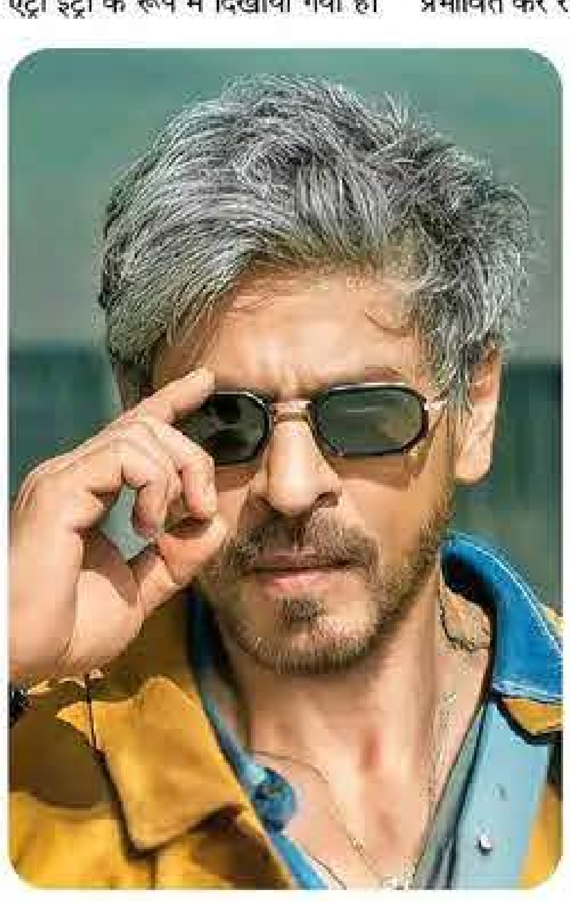

शाहरुख ने पूरा किया 'किंग' के एक्शन सीक्वेंस का शूट

शाहरुख खान की आगामी फिल्म 'किंग' इन दिनों हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बनी हुई है। हाल ही में फिल्म की एक बड़ी एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग पूरी की गई, जिसमें शाहरुख और उनकी बेटी सुहाना खान नजर आईं। रिपोर्ट के अनुसार...'इस सीन में पारंपरिक विजयादशमी जुलूस का माहौल तैयार किया गया था। सेट पर ढोल-नगाड़े, रंग और उत्सव जैसा माहौल बनाया गया है, जिससे पूरे सीन में फेस्टिव ऊर्जा दिखाई दे सके। इस बड़े सीन के लिए सैकड़ों एक्टर्स को शामिल किया गया था। बताया जा रहा है कि शाहरुख और सुहाना ने इस एक्शन सीन की शूटिंग लगातार आठ रातों तक की। खास बात यह है कि सुहाना ने इस सीक्वेंस में कई स्टंट खुद किए, जो उनके किरदार के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सों में से एक माना जा रहा है।' बताया जाता है कि निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने फिल्म का टाइटल शाहरुख को दिया था। फिल्म का निर्देशन पहले सुजॉय घोष करने वाले थे, लेकिन बाद में निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने यह जिम्मेदारी संभाल ली। इससे पहले वह शाहरुख के साथ फिल्म 'पठान' में काम कर चुके हैं।

'ओह माय गॉड' फ्रेंचाइज के तीसरे पार्ट का हिस्सा नहीं होंगी रानी

बॉलीवुड में पिछले कुछ समय से चर्चा थी कि रानी मुखर्जी जल्द ही अक्षय कुमार के साथ फिल्म 'ओह माय गॉडिस 3' में नजर आएंगी। इस फिल्म के जरिए दोनों कलाकार पहली बार एक साथ बड़े परदे पर दिखने वाले थे। हालांकि अब सामने आई नई जानकारी ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार...'रानी को इस फिल्म के लिए कभी आधिकारिक तौर पर साइन ही नहीं किया गया था। बताया जा रहा है कि रानी इसका हिस्सा नहीं हैं। दोनों कलाकारों के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर शुरुआती स्तर पर बातचीत जरूर हुई थी, लेकिन बात कॉन्ट्रैक्ट या साइनिंग तक नहीं पहुंच सकी।

भा.कृ.अनु.प. - राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्थान
करनाल-(हरियाणा)-132001

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सरप्लस पशुओं जैसे : विभिन्न नस्ल की गायें, सांड, बछड़े - बछड़ीयो की नीलामी सचिव, आई.सी.ए.आर.,नई दिल्ली के और से निदेशक, राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्थान, करनाल (हरियाणा) द्वारा एल. आर. सी. प्रांगण मे दिनांक : 17.03.2026 को (गाय) एवं दिनांक : 18.03.2026 को (भैंस/बकरी) प्रातः 09.00 बजे से सायं 05.00 तक पशुधन अनुसन्धान केंद्र, राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्थान,करनाल (हरियाणा) में आम नीलामी द्वारा नीलाम किये जायेंगे । विस्तृत जानकारी हेतु केन्द्रीय भंडार (0184-2259309) मे संपर्क करे एवं संस्थान की वेबसाइट www.ndri.res.in पर देखे ।

नीलामी की सामान्य शर्तें इस प्रकार है :-

1. पशुओं की बिक्री " जहाँ है जैसा है" के आधार पर होगी । नीलामी के समय बोली लगाने वाले बोलीदाता द्वारा पशु कि जाँच-परख की जा सकती है ।
2. जो व्यक्ति सार्वजनिक पशु नीलामी मे से पशु लेगा उसे अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस/ बिजली का बिल आदि मे से एक स्वयं सत्यापित फोटोकॉपी जमा करनी होगी और बोली लगाने के लिए रु.5000/- धरोहर (सुरक्षा) राशि के रूप मे जमा करवानी होगी तत्पश्चात टोकन जारी किया जायेगा । नीलाम, पशुओं की कीमत की धनराशि डीमांड ड्राफ्ट /RTGS/NEFT/ नेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड द्वारा स्वीकार की जाएगी ।
3. सबसे अधिक बोली देने वाले को उस पशु की कीमत मे से रु.5000/- प्रति पशु के हिसाब तुरंत हथौड़े की चोट उसी समय नकद जमा करानी होगी । नगद के रूप मे रु. 5000/- से ज्यादा राशि स्वीकार्य नहीं होगी, खरीददार अगर चाहे तो सारी राशि का भुगतान उसी समय डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड द्वारा भी कर सकता है या 48 घंटे के अंदर पूरी कीमत डिमांड ड्राफ्ट /RTGS/NEFT/नेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड से भी जमा कर सकता है, किसी भी प्रकार से भुगतान किस्तों मे स्वीकार नहीं किया जायेगा । यदि उच्चतम बोली लगाने वाला व्यक्ति पशु की पूरी बोली राशि जमा करने मे असमर्थ रहता है, तो सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी ।
4. बिके हुए पशु को 48 घंटे के अंदर पूरी कीमत जमा करने के बाद ले जाना होगा तथा पशु को ले जाने का प्रबंध स्वयं करना होगा । अन्यथा रु.200/-प्रति पशु के हिसाब से जो एक वर्ष से बड़े है तथा रु. 100/- प्रति पशु जो एक वर्ष से छोटे है के हिसाब से खिलाने-पिलाने का खर्च वसूल किया जायेगा ।
5. नीलामी होने के पश्चात नीलाम किये गये पशुओं को होने वाली किसी भी हानि / चोट/मृत्यु के लिए संस्थान जिम्मेवार नहीं होगा ।
6. बिना कोई कारण बताये नीलामी मे किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक, अध्यक्ष राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्थान, करनाल के पास सुरक्षित है ।
7. अन्य कोई नियम एवं शर्तें बोली के समय पर ही सुना दी जायगी ।
8. किसी भी किस्म का वाद विवाद /मुकदमेबाजी आदि यदि कोई होगा तो उसका निपटारा करनाल न्यायालय में मान्य होगा ।

निदेशक

punjab national bank ... the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

E-AUCTION NOTICE

CORPORATE OFFICE : PLOT NO.4, SECTOR 10, DWARKA, NEW DELHI-110075
CIRCLE OFFICE, KARNAL
ADDRESS : BAY NO.21-22, 4TH FLOOR, SECTOR-12, KARNAL, Email: coknlsamd@pnb.bank.in

अचल संपत्तियों के लिए ई-नीलामी सूचना

ई-नीलामी की तिथि एवं समय: 27/03/2026 (शुक्रवार), सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता के पास गिरवी रखी गई है और जिसका प्रतीकात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा बैंक/सुरक्षित ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, बैंक/सुरक्षित ऋणदाता को देय राशि की वसूली हेतु नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को "जैसी है, जहां है", "जैसी है, जो है" और "जो भी उपलब्ध है" के आधार पर बेची जाएगी। यह नीलामी संबंधित उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(ओं) से बैंक/सुरक्षित ऋणदाता को देय राशि की वसूली हेतु की जाएगी। आरक्षित मूल्य और बयाना राशि संबंधित संपत्तियों के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित हैं।

सुरक्षित परिसंपत्तियों की अनुसूची

शाखा का नाम, खाते का नाम, ऋणी/गारंटर का नाम एवं पता, खाता संख्या	गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण / स्वामी का नाम (संपत्ति/संपत्तियों के गिरवीदार का नाम)	ए) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस की तिथि बी) बकाया राशि सी) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि कब्जे का प्रकार	ए) आरक्षित मूल्य (रुपये में) बी) ईएमडी (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि) बोली वृद्धि राशि	नीलामी तिथि	प्राधि. अधिकारी
1. शाखा कार्यालयः सहारनपुर रोड यमुनानगर 1) श्री. बिट्टू पुत्र श्री पूरन चंद (उधारकर्ता), मकान नंबर 37 डब्ल्यू नंबर 1, नालागढ़ का माजरा तहसील जगाधरी, यमुनानगर - 135003, खाता संख्या 214000NC00003081, एनपीए की तिथि: 29.12.2023	यमुना नगर-जगाधरी नगर निगम, तहसील जगाधरी, जिला यमुना नगर की सीमा के भीतर स्थित, मौजा नालागढ़ का माजरा (वर्तमान में नालागढ़ कॉलोनी, जगाधरी के नाम से जाना जाता है) में संपत्ति आईडी 154C162U63 वाले आवासीय मकान का 70 वर्ग गज का वह भाग, जिसका हस्तांतरण विलेख संख्या 1326 दिनांक 24/05/2021 को जगाधरी के उप रजिस्ट्रार कार्यालय में विधिवत पंजीकृत है, श्री बिट्टू पुत्र श्री पूरन चंद के नाम पर है, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर: 15'-0" सुंदर लाल का मकान, दक्षिण: 15'-0" सुंदर लाल का मकान, पूर्व: 42'-0" अन्य की संपत्ति, पश्चिम: 42'-0" गली।	ए) 23/04/2025 बी) रुपये 7,92,562.46/- जिसमें 31/03/2025 तक लगाया गया ब्याज और 01/04/2025 से अनुबंधित दर पर लगने वाला अतिरिक्त ब्याज तथा अन्य व्यय शामिल हैं, यदि कोई वसूली हुई हो तो उसे घटाकर। सी) 10-12-2025 डी) भौतिक कब्जा	ए) 6,56,000 रुपये बी) 65,600 रुपये सी) 50,000 रुपये	27/03/2026	देव राज सिंह
2 शाखा कार्यालयः सहारनपुर रोड, यमुनानगर श्री अमीनूर पुत्र हामिद अली, मनोज करियाना स्टोर के पास, गंगा नगर कॉलोनी, तहसील जगाधरी, यमुनानगर 135001 एचआर, खाता संख्या 214000NC00002815 और 214000NC00002860 बीओ: सहारनपुर रोड, यमुनानगर एनपीए की तिथि: 29/02/2024	संपत्ति आईडी संख्या 102C263U174 वाले आवासीय मकान/प्लॉट का वह भाग, जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग गज है, यानी 00K-02M, जो 09K-09M भूमि में से 2/189 हिस्सा है, जो खेवट संख्या 1329//1338, खतौनी संख्या 1549, खसरा संख्या 46//15(7-19), 16/1(1-10) में स्थित है, जो मौजा जगाधरी में स्थित है, जिसे वर्तमान में अहमगढ़ की तपरियां, गंगा नगर एक्सटेंशन, जगाधरी के नाम से जाना जाता है, जो यमुना नगर-जगाधरी नगर निगम की सीमा के भीतर, तहसील- जगाधरी, जिला यमुना नगर में स्थित है, जिसका स्वामित्व पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 6002 दिनांक 01/01/2021 के तहत है, जो उप रजिस्ट्रार जगाधरी के कार्यालय में विधिवत पंजीकृत है, उत्परिवर्तन संख्या के साथ पढ़ा जाए। श्री अमिनूर पुत्र हामिद अली के नाम पर वर्ष 2019-2020 के लिए पंजीकृत जमाबंदी संख्या 26163, जिसका माप और सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर में 3'-6"+16'6" - 22' चौड़ा रास्ता और शांति देवी का घर, दक्षिण में 20' - अन्य का घर, पूर्व में 47'-3" (मकान संख्या 8), पश्चिम में 22'3"+25' (मकान संख्या 9 और शांति देवी का घर)।	ए) 21.06.2024 बी) 31/05/2024 तक लगाए गए ब्याज सहित 7,66,495.51/- रुपये, जिसमें 01/06/2024 से अनुबंधित दर पर अतिरिक्त ब्याज और अन्य व्यय शामिल हैं, यदि कोई वसूली हुई हो तो उसे घटाकर। सी) 17-06-2025 डी) भौतिक कब्जा	ए) 9,91,000 रुपये बी) 99,100 रुपये सी) 50,000 रुपये	27/03/2026	देव राज सिंह
3 शाखा कार्यालयः सहारनपुर रोड यमुनानगर 1)श्रीमती. प्रोमिला देवी पत्नी राम सिंह नंबर 102, जवाहर नगर फर्कपुर यमुनानगर खाता नंबर 214000NC00003036 बीओ: सहारनपुर रोड यमुनानगर एनपीए की तिथि: 31/03/2023	मकान का वह भाग एवं भूखंड जिसका पीपीआईडी क्रमांक 335सी899यू26 है और जो प्लॉट क्रमांक 80 तथा प्लॉट क्रमांक 81 के पूर्वी भाग पर निर्मित है, जिसका क्षेत्रफल 200 वर्ग गज (अर्थात 00 किमी-07 मीटर) है, जो मौजा ससौली, गृहक्षा क्रमांक 420, अब जवाहर नगर, फरकपुर, यमुना नगर, यमुना नगर नगर निगम की सीमा के अंतर्गत, तहसील जगाधरी, जिला में स्थित है। वर्ष 2018-19 की जमाबंदी के अनुसार यमुना नगर में, उत्परिवर्तन संख्या 7096 के साथ पढ़ा जाए, विक्रय विलेख संख्या 8831 दिनांक 02.02.2017 के माध्यम से खरीदी गई भूमि, उप रजिस्ट्रार जगाधरी के कार्यालय में विधिवत पंजीकृत, जिसका विवरण निम्नानुसार है: -क) खेवट संख्या 280/238, खतौनी संख्या 390, खसरा संख्या 41/1/2, 9/5 में स्थित 13.0 ... ग) 21k-19m क्षेत्रफल वाली भूमि में से 3/439 भाग यानी 00k-03m क्षेत्रफल वाली भूमि, जो खेवट संख्या 283/241, खतौनी संख्या 393, खसरा संख्या 41/11, 12, 13 में स्थित है, का विवरण इस प्रकार है: उत्तर दिशा में प्लॉट संख्या 57 पर 36'-0", दक्षिण दिशा में 16 फीट चौड़ी गली पर 36'-0", पूर्व दिशा में प्लॉट संख्या 79 पर 50'-0", पश्चिम दिशा में प्लॉट संख्या 81 का शेष भाग 50"-0"।	ए) 25.04.2023 बी) 9,79,133/- रुपये के लिए, जिसमें 31/03/2023 तक लगाए गए ब्याज और 01/04/2023 से अनुबंधित दर पर अतिरिक्त ब्याज, साथ ही अन्य व्यय शामिल हैं, और यदि कोई वसूली हुई हो तो उसे घटा दिया जाएगा। सी) 20-10-2023 डी) प्रतीकात्मक कब्जा	ए) रु. 16,11,000/- बी)रु. 1,61,100/- सी)रु. 50,000/-	27/03/2026	देव राज सिंह
4: शाखा कार्यालय एलएमजीएच यमुनानगर 1) मेसर्स रॉयल एंटरप्राइजेज (ऋण लेने वाला) मकान संख्या 21, विशाल नगर, यमुनानगर 2) श्री शिवम वधवा (मालिक) मकान संख्या 21, विशाल नगर, यमुनानगर – 135001	यमुनानगर के कैंसपुर, आबादी मौजा में स्थित खसरा संख्या 27/3 आवासीय भूखंड का वह भाग, जिसका क्षेत्रफल 75 वर्ग गज है, श्रीमती हर्ष बाला पत्नी श्री सतिंदर कुमार के नाम पर विक्रय विलेख संख्या 5959 दिनांक 24.09.2014 के तहत यमुनानगर के उप-पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर – 15 फीट अन्य की संपत्ति, दक्षिण – 15 फीट सड़क, पूर्व – 45 फीट अन्य की संपत्ति, पश्चिम – 45 फीट अन्य की संपत्ति	ए) 05.05.2017 बी) 30/04/2017 तक लगाए गए ब्याज सहित 5,67,354/- रुपये, साथ ही 01/05/2017 से अनुबंधित दर पर अतिरिक्त ब्याज और अन्य खर्चों को घटाकर (यदि कोई वसूली हो), सी) 24-06-2025 डी) भौतिक कब्जा	ए) रु. 6,38,000/- बी) रु. 63,800/- सी) रु. 50,000/-	27/03/2026	सतेंद्र राठौर
3) श्रीमती हर्ष बाला पत्नी श्री सतिंदर कुमार (गारंटर) मकान संख्या 21, विशाल नगर, यमुनानगर – 135001 खाता संख्या 10314015006956 और 10317015006685 एनपीए की तिथि: 01/02/20217					
5 शाखा कार्यालयः भगवानगढ़, यमुनानगर (325900) श्री मुनीश कुमार शर्मा पुत्र स्व. परवेश कुमार शर्मा (उधारकर्ता) निवासी #33 पृथ्वी नगर फरकपुर, यमुनानगर, खाता संख्या। : 325900IB00001672, एनपीए की तिथि : 31/03/2022	यमुना नगर नगर निगम की नगर सीमा के अंतर्गत मौजा फराकपुर यमुना नगर में स्थित आवासीय मकान संख्या 33 (संपत्ति आईडी 1KP0D3G7, पुराना आईडी 3 3 7 C 4 1 6 U 9 4) का वह भाग, जिसका क्षेत्रफल 113.33 वर्ग गज है, श्री मुनीश कुमार शर्मा पुत्र श्री परवेश शर्मा के नाम पर पंजीकृत हस्तांतरण विलेख संख्या 7319 दिनांक 31.10.2019 के माध्यम से हस्तांतरित किया गया है।	ए) 02.08.2022 बी) 15,73,069.15 रुपये में, जिसमें 31.07.2022 तक लगाया गया ब्याज और 01/08/2022 से अनुबंधित दर पर अतिरिक्त ब्याज शामिल है, साथ ही अन्य व्यय भी शामिल हैं, यदि कोई वसूली हुई हो तो उसे घटाकर। सी) 26.12.2025 डी) भौतिक कब्जा	ए)रु. 20,26,000/- बी)रु. 2,02,600/- सी) रु. 50,000/-	27/03/2026	सतेंद्र राठौर
6 शाखा कार्यालयः मॉडल टाउन यमुनानगर (370100) मोहम्मद रफी, मोहम्मद साफी और एकराम खान, निवासी मकान संख्या 78, मौजा मुमिडी, मकान संख्या 470, नगर निगम की सीमा के भीतर, जिला यमुनानगर। खाता संख्या: 1688300001250, निष्पादित खाताधारक (एनपीए) की तिथि: 03.07.2019	संपत्ति आईडी 384C161U42 वाले आवासीय मकान का वह भाग और पार्सल, जिसका क्षेत्रफल 180 वर्ग गज है और जो 02K-19M भूमि में से स्थित है, खेवट संख्या 240, खतौनी संख्या 283, खसरा संख्या 20//18/2 में स्थित है, जो मौजा मुमिडी, एच बी संख्या 470 में नगर निगम जिला यमुनानगर की सीमा के भीतर स्थित है, और गिरवीनामा संख्या 6769 दिनांक 02.12.2016 के तहत गिरवी रखा गया है, मूल पंजीकृत हस्तांतरण विलेख संख्या 999 दिनांक 02/05/2016 मोहम्मद रफी पुत्र टाकी मोहम्मद के नाम पर, मूल पंजीकृत हस्तांतरण विलेख संख्या 1001 दिनांक 02/05/2016 मोहम्मद साफी पुत्र टाकी मोहम्मद के नाम पर, मूल पंजीकृत। मोहम्मद साफी पुत्र टाकी मोहम्मद के नाम पर दिनांक 02.05.2016 को जारी हस्तांतरण विलेख संख्या 1001 और एकराम पुत्र टाकी मोहम्मद के नाम पर दिनांक 02/05/2016	ए) 29.01.2024 बी) 15,94,175.70/- रुपये के लिए, अनुबंधित दर पर 03.01.2024 से प्रभावी ब्याज सहित, और अन्य खर्चों को घटाकर, यदि कोई वसूली हुई हो। सी) 19.09.2025 डी) भौतिक कब्जा	ए) रु. 24,48,000/- बी)रु. 2,44,800/- सी) रु. 50,000/-	27/03/2026	सतेंद्र राठौर
को जारी मूल पंजीकृत हस्तांतरण विलेख संख्या 1000, दिनांक 18/09/1997 को जारी मूल पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 3846। उत्परिवर्तन संख्या 2755 और 4940 की प्रमाणित प्रति। वर्ष 2011-12 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति। संपत्ति का माप और सीमांकन विक्रय विलेख के अनुसार निम्नानुसार है: उत्तर: 39'-3" - गली, दक्षिण: 32'-6" - नौशाद खान का घर, पूर्व: 39'-6" - गली, पश्चिम: 59'-9" - सुल्तान खान का घर।					

स्थानीय निकायों/राज्य/केंद्रीय सरकार को देय राशि बैंक को ज्ञात नहीं है।
नियम और शर्तें: यह बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों तथा निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी:

1. संपत्तियां "जैसी है, जहां है" और "जैसी है, जो है" के आधार पर बेची जा रही हैं।
2. उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण अधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दिया गया है, लेकिन इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत कथन या चूक के लिए अधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होगा।
3. यह बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 27.03.2026 को सुबह 11.00 बजे की जाएगी।
4. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com और https://pnb.bank.in देखें या संबंधित शाखा कार्यालय में जाएँ।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना

दिनांक: 07.03.2026

अधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, सुरक्षित लेनदार